राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक / न्याय / 2018 / 1432

दिनांकः 12.03.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी / विविध / झाला / 17 / 6101–02 दिनांक 26.02.18 से पुलिस थाना मिश्रोली के अभियोग सं0 10 / 18 धारा 3 / 25, आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मुकेश पुत्र लीमा जाति कंजर उम्र 26 साल निवासी बिरियाखेडी थाना सदर झालावाड जिला झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट की धारा 3 / 25 के अंतर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.01.2018 को श्री कन्हैया लाल सउनि मय जाप्ता रवाना होकर वास्ते चैकिग अवैध कार्य नाकाबंदी हेतु लोल्डा–मोल्डा तिराहे पर पहुंच कर नाकाबंदी आरम्भ की, दौराने नाकाबदी एक व्यक्ति पुलिस जीप को देखकर भागने लगा जिस पर कोई अवैध वस्तु व आपराधिक गतिविधि मे होने का शक होने पर घेराबंदी कर डिटेन किया व नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मुकेश पुत्र लीमा जाति कंजर उम्र 26 साल निवासी बिरियाखेडी थाना सदर झालावाड जिला झालावाड बताया जिसकी तलाशी लिए जाने पर एक अवैध देशी कटटा मिला। जिसका उसके पास अनुज्ञापत्र होना नही पाया गया। मौके पर जप्ती कार्यवाही कर वापसी थाने पर प्रकरण सं. 10 / 18 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट मे दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल किया फरियादी एंव गवाहान के कथन लेखबद्व किये । अभियुक्त को गिरफतार कर अनुसंधान किया गया। जप्तशुदा देशी कटटा का आर्मोरर पुलिस लाईन झालावाड से मेकेनिकल मुआयना करवाया गया तो उक्त देशी कटटा 12 बोर लोकल मेटल लोहे का बना हुआ, जिस पर कोई नंबर व मार्का अंकित नही होना, मोजूदा समय मे इसके सभी पार्टस सही कार्यरत होना तथा उक्त देशी कटटा फायर करने योग्य एंव फायर आर्म्स की जद मे आना बताया गया। अभियुक्त के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री हुकमचंद सैनी थानाधिकारी थाना मिश्रोली व आरर्मोरर पुलिस लाईन श्री यंशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड देशी कटटे को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त मुकेश पुत्र लीमा जाति कंजर उम्र 26 साल निवासी बिरियाखेडी थाना सदर झालावाड जिला झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट, झालवाड

जहाँ सोच, वहाँ शौचालय,
बदलो सोच, बनाओ शौचालय।

माँ घर में घूँघट तेरा साथी,
फिर क्यों शौच खुले में जाती

जगमग झालावाड

E/Procecution Senction